अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :– अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :– 173/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कु० भास्करी वो अंचल निरीक्षक श्री तारकेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बसुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/8/1 दाग नं0 32 रकवा 01-08-09 किस्म परती कदीम श्री पंचू रविदास पिता बगरू रविदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री पंचू रविदास को दिनांक 18/9/16 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 30/8/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

3/7/2020
28/6/18

अभिलेख उपस्थापित।
पुनः नोटिस निर्गत करें।

(हस्ताक्षर)
अंचल अधिकारी
महागामा।

sandha

07/7/15. अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार आवेदक संदेहास्पद पंजी-II रैयत को भूमि [illegible] पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई०सी०एल० ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उपस्थापित।

अं० अ०
महागामा

07/7/15

अंचल अधिकारी,
महागामा